का विभाग अन्त्री

स्ते कि वि

विषय:

एफ-19-25/2016/स्था./19

डब्ल्यू.पी.क्र.-19655/2015 (एस) श्री अखिलेश गुप्ता विरूद्ध 🐐 म०प्र०शासन एवं अन्स।

पंजी क्र.-384/2016/स्था./19, दिनांक 19.01.2016

विचाराधीन पत्र का कृपया अवलोकन हो।


श्री अखिलेश गुप्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में डब्ल्यू.पी.क्रमांक -19655 / 2015@दायर किया है जिसमें शासन का पक्ष समर्थन करने हेतु प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाना है।

अतः कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण संभाग, (भ./स.) क्रमांक-1, बालाघाट को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया, जाना उचित होगा।

आदेशार्थ प्रस्तुत।

मास्य मप हारहां परियों है दिस्तादाराध

Hari oic notesheet



## मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपात-462004

# 20

## // आदेश//

भोपाल, दिनांक 29/01/2016

क्रमांक-एफ-19-25/2016/स्था./19, राज्य शासन एतद्द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 (अधिनियम की संख्या-5) के आदेश सत्ताईस के नियम-1, तथा 2 के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण (म./स.) संभाग क्रमांक-1, बालाघाट को मान.उच्च न्यायालय, जबलपुर में याचिका क्रमांक-19655/2015 द्वारा श्री अखिलेश गुप्ता विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में रिट अपील दायर करने मध्यप्रदेश राज्य के लिए तथा उसकी ओर से प्रभारी अधिकारी के रूप में अभिवचनों पर हस्ताक्षर करने और सत्यापित करने के लिये कार्य करने, आवेदन करने और उपसंजात होने के लिए नियुक्त करता है। प्रभारी अधिकारी को यह आदेश दिया जाता है कि म.प्र. विधि और विधायी कार्य विभाग नियमावली में वर्णित कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त वह अपनी नियुक्त के तुरन्त पश्चात् अन्य बातों के साथ स्थित में जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं, निम्नलिखित कार्य करेगा:-

- 1. प्रभारी अधिकारी मामले में तथ्यों के बारे में तुरन्त ऐसी जाँच करेगा जैसी की आवश्यकता हो और याचिका के उठाये गये समस्त बिन्दुओं का पैरा अनुसार उत्तर देते हुए ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें कि मामले के संचालन में महाधिवक्ता शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है। रिपोर्ट तैयार करेगा यदि किसी प्रक्रम पर विधि विभाग से परामर्श किया गया था तो उस विभाग की राय भी रिपोर्ट में विनिर्दिष्ट रूप से की जायेगी।
- वह पत्र/याचिका में उठाये गये समस्त, बिन्दुओं को पैरा अनुसार उत्तर देते हुए और ऐसी अतिरिक्त जानकारी देते हुए जिनमें की शासकीय अभिभावक को सहायता पहुंचाने की संभावना है, रिपोर्ट तैयार करेगा।
- समस्त सुसंगत फाईले, दस्तावेज, नियम, अधिसूचनाओं तथ आदेशों को एकत्रित करेगा।
- 4. उक्त रिपोर्ट तथा सामग्री के साथ शासकीय अधिवक्ता से संपर्क करेगा।
- 5. शासकीय अधिवक्ता की सहायता से लिखित कथन उत्तर तैयार कर सकेगा।
- 6. प्रमारी अधिकारी निम्नलिखित कागजात पत्र भेजेगा :-
  - (क) वाद पत्र की एक प्रति के साथ सरकार की एक रिपोर्ट।
  - (ख) प्रस्तावित लिखित कथन का एक प्रारूप।

  - (घ) मामले के विशुद्धिकरण के लिए आवश्यक कागज पनों की प्रतियां इसमें वाद पत्र की तारीख भी वर्णित होनी चाहिए।
- 7. मामले को तैयार और संचालन करने में शासकीय अधिवक्ता का सहयोग करना वाद मामले में उसे जब भी कोई आदेश / निर्णय विशिष्टतया मध्यप्रदेश राज्य के विरुद्ध पारित किया जाता है उसके संबंध में विधि विभाग को सूचित करने तथा उसकी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने के लिए उसी दिन या आगामी कार्य दिवस को आवेदन करना।
- अपनी रिपोर्ट के साथ आदेश / निर्णय की प्रमाणित प्रति तथा शासकीय अधिवक्ता की राय अगली कार्यवाही किये जाने के लिए इस विभाग को भेजें।
- यह देखना कि आवेदन करने में तथा प्रमाणित प्रतियां प्रांत करने, रिपोर्ट बनाने, राय प्राप्त करने और उसकी सूचना देनें में समय नष्ट नहीं हो।

Oic&Avm.



- 10. जैसे ही उसे अपने स्थानांतरण आदेश प्राप्त होते हैं वह अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से तत्काल जानकारी देगा यह वर्तमान पद का भार साँप देने के पश्चात् भी जबकि प्रभारी अधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता प्रभारी अधिकारी बना रहेगा।
- 11. प्रभारी अधिकारी मामला तैयार करने से शासकीय अधिवक्ता को हर संभव सहयोग देगा तथा इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि कोई महत्वपूर्ण तथ्य दस्तावेज अप्रकाशित / छुपा हुआ नही रह जाए।
- 12. प्रभारी अधिकारी यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो वह जैसे ही वाद का अविनिश्चिय होता है, परिणाम की रिपोर्ट विभागाध्यक्ष के माध्यम से सरकार को देगा। निर्णय एक अभिप्रमाणित प्रति प्राप्त की जाये और रिपोर्ट के साथ भेजी जाए।
- 13. प्रमारी अधिकारी का यदि लोक अभियोजन मुकर्रर है तो इस बात के लिए उत्तरदायी होगा कि उन मामलों में जहां किसी वाद प्रक्रम में पारित किए गये किसी अंतरिम आदेश का पुनरीक्षण अपेक्षित है समय पर कार्यवाही की गई है। अतएव वह इस आदेश की प्रति जैसे ही यह पारित किया जाए विभाग अध्यक्ष के माध्यम से अपनी अनुशंसा सरकार प्रशासकीय विभाग को अग्रेषित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा औदेशानसार

1201

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन,लोक निर्माण विभाग भोपाल, दिनांक 29/01/2016

पृ.क्र.-एफ-19-25/2016/स्था./19

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित :-

डिप्टी रिजस्ट्रार, मान०उच्च न्यायालय, जबलपुर।

प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल।

प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण, निर्माण भवन, म.प्र., भोपाल।

मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मध्य-परिक्षेत्र-जबलपुर।

5. कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्रमांक—1, बालाघाट को प्रभारी अधिकारी की ओर अग्रेषित, साथ ही शासकीय अधिवक्ता सं संपर्क करने और उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रगति रिपोर्ट के साथ एक प्रति इस विभाग को आवश्यक रूप से भेजी जावे।

कलेक्टर – बालाघाट (म०प्र०)।

मध्यप्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग



#### IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH AT JABALPUR

Process Id: 195035/2015

WP/19655/2015

From

Kishore Pithawe Deputy Registrar, High Court of Judicature at Jabalpur

To,

The State Of Madhya Pradesh, The Principal Secretary Public Works Department Vallabh Bhawan Bhopal, District- Bhopal (MADHYA PRADESH), FOR ADMISSION AND I.R. Fixed for 18-01-2016 WP-DA-12 Respondent No. 1

लोक विकारित केलाक को क. 38 9 स्था 19

Jabalpur 08-12-2015

Sub: Notice to Respondent No. 1 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/ 19655/2015

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one Akhilesh Gupta has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/Prohibition/Certiorari/Quo Warranto) No. WP/19655/2015

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before 18-01-2016. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided exparte.

(Seal of the Court) Encl: Copy of Petition

Of4101

Your faithfully

DEPUTY REGISTRAR

#### IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH PRINCIPAL SEAT **AT JABALPUR**

WRIT PETITION NO. 19655 OF 2015

PETITIONER: -

**AKHILESH GUPTA** 

**VERSUS** 

RESPONDENTS:-

State of M.P. and Ors.

INDEX

S.no.	Particulars of Documents	Annexure	Pg.No.
1.	Index		1
2.	Chronological Events of the Case		2
3.	Writ petition along with affidavit		3-8
4.	List of Documents		9
5.	Extract Copy of Service Book	P-1	10-11
6.	A copy of the Representation	P-2	12
7.	Copy of Notification dated	P-3	13
8.	A copy of the order dated 07- 11-2005.	P-4	14-18
9.	Copy of Identical order passed by this Hon'ble Court.	P-5	19-22
10.	Vakalatnama.		23

Ku. Kiran Mehta

J NUV 2015 DATED: 5.11.2015

harmanant

(SUDARSHAN CHAKRAVARTY) ADVOCATE FOR PETITIONER

DECLARATION

That, it is declared that the petitioners have served the copy of petition together with Annexures in advance to the Advocate General's office as per Chapter X Rule 25 of M.P. High Court Rules, 2008 at 10.30am on .....08.2015.

**JABALPUR** 

DATED: 5 .11 .2015

(SUĎARSHAN CHAKRAVARTY) ADVOCATE FOR PETITIONER